



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला
तहसील
आवेदन क्र०
प्रमाणपत्र क्र०

अमरोहा
अमरोहा
6003150016726
060231504831

जारी दिनांक: 26/06/2015

प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/पुत्री
निवासी
ग्राम
तहसील
जिला

- मुजाहिद अली
श्री जाहिद अली
,पोस्ट-रजबपुर
ईंट का रड़ा
अमरोहा
अमरोहा



उत्तर प्रदेश राज्य की शेख सरवरी(पिराई) जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि - मुजाहिद अली पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में तथा विहिप छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र:
पद:
स्थान :
दिनांक:
हस्ताक्षर एवं मूहर

सीएमएस जम सेवा केन्द्र
यूसूफ अली सफी अतरासी, केन्द्र प्रभारी
अतरासी, अमरोहा, जोया, अमरोहा
27/06/2015

Digitally Signed by

SURESH KUMAR
(SN=5319EE2F)

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
अमरोहा, अमरोहा
दिनांक: 26/06/2015

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया तथा सक्षम अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है एवं सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मों द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://uponline.up.nic.in> पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।